उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-121/2025/I/1021054/2025/71-1001/1703/2019 पार्ट 1-

लखनऊः दिनांक 10 जुलाई, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में धनराशि रू0 1.00 लाख से अधिक लागत वाले उपकरणों के क्रय हेतु तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण किये जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-आई/472361/2024 दिनांक 16.01.2024 द्वारा (1) नान क्लीनिकल विषयों हेतु (2) पैरा क्लीनिकल विषयों हेतु (3) क्लीनिकल विषयों व अन्य के लिए (4) सुपर स्पेशियलिटी एवं अन्य अतिविशिष्ट उपकरणों के लिए, पृथक-पृथक कुल 04 समितियों का गठन किया गया है तथा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-आई/950563/2025 दिनांक-01.05.2025 द्वारा गठित समितियों की वैधता को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विस्तारित किया गया है।

2- सम्यक् विचारोपरान्त सुपर स्पेशियलिटी एवं अन्य अतिविशिष्ट उपकरणों के लिए तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण किये जाने हेतु पूर्व में गठित समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है-

क्र0	विशिष्टिता	विषय-विशेषज्ञ	प्रास्थिति
1	कार्डियोलॉजी	डा0 भुवन चन्द तिवारी, विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी विभाग, आर0एम0एल0, लखनऊ।	अध्यक्ष
2	सी0टी0वी0एस0	डा0 अजितेश जैन, आचार्य, आर0एम0एल0, लखनऊ	सदस्य
3	गैस्टोइन्ट्रोलोजी	डा0 सुमित रूंगटा, आचार्य जूनियर ग्रेड, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।	सदस्य
4	न्यूरोसर्जरी	डा0 मनीष सिंह, आचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।	सदस्य
5	न्यूरोलोजी	डा0 कमलेश सोनकर, सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज, प्रयागराज।	सदस्य
6	गैस्ट्रोसर्जरी	डा0 स्मिता चैहान, आचार्य जूनियर ग्रेड, आर0एम0एल0, लखनऊ।	सदस्य
7	यूरोलोजी	डा0 ईश्वर राम घायल, आचार्य, आर0एम0एल0, लखनऊ।	सदस्य
8	प्लास्टिक सर्जरी	डा0 दिव्य नारायण उपाध्याय, आचार्य जूनियर ग्रेड, के0जी0एम0यू0।	सदस्य
9	रेडियोडायग्नोसिस	डा0 अनित परिहार, आचार्य, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।	सदस्य
10	रेडियोथेरेपी	डा0 अजीत गांधी, आचार्य , जूनियर ग्रेड, रेडियोथेरेपी विभाग, आर0एम0एल0, लखनऊ।	
11	सम्बन्धित संस्थान के जे0डी0एम0एम0 या अध्यक्ष स्तर से नामित सदस्य		संयोजक सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-आई/472361/2024 दिनांक-16.01.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कृतिका शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. कुलपति/कुल सचिव, के0जी0एम0यू0/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
3. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0 लखनऊ/ डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा/बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा/हृदय रोग संस्थान/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
5. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित सदस्यगण (द्वारा निदेशालय, चिकित्सा शिक्ष एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ)।
7. समस्त अनुभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृतिका शर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।